तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेश वैध, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी सुजानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी बाबत् न्यायालय उपखंड अधिकारी सुजानगढ के समक्ष विचाराधीन वाद के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी सुजानगढ ने अपने आदेश दिनांक 22–7–03 द्वारा अप्रार्थी सं.1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर पक्षकार बनाने के आदेश दे दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया था कि उसने विवादित आराजी राधादेवी से दिनांक 14–7–59 को खरीद की है जबकि स्व0 राधादेवी का वादग्रस्त भूमि में सिर्फ 1/9 हिस्सा ही था। ऐसी स्थिति में स्व0 राधादेवी द्वारा किया गया बेचान कानून की नजर में अवैध, अनाधिकृत, साजिशी एवं शून्य है। जिसके आधार पर अप्रार्थी सं.1 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। प्रार्थी के वाद में किसी तृतीय पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अप्रार्थी सं.1 का विवादित भूमि पर ना तो किसी प्रकार का कोई कब्जा है और ना ही किसी प्रकार का कोई सारोकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष वर्तमान प्रार्थी/वादी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था जिसका मालिक एवं मास्टर ऑफ द सूट एकमात्र वादी था तथा यह उसकी स्वतंत्रता है कि वे किसको पक्षकार के रूप में संयोंजित करेंगे और किसको नहीं तथा किस व्यक्ति के खिलाफ वादी को अनुतोष चाहिए और किसके खिलाफ नहीं। प्रस्तुत वाद पत्र में भी प्रार्थी/वादी ने उन व्यक्तियों को ही पक्षकार के रूप में संयोजित किया था जिनके विरूद्ध प्रार्थी को अनुतोष चाहिए था और कोई अजनबी व्यक्ति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उसकी सहमति के बिना पक्षकार नहीं बन सकता और ना ही उसे पक्षकार संयोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने असल अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी सुजानगढ के समक्ष विचाराधीन वाद के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी न्यायालय उपखंड अधिकारी सुजानगढ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	ने अपने आदेश दिनांक 22–7–03 द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 को पक्षकार बनाने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र होने के आधार पर उसको सद्भावी क्रेता मानते हुये हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार माना है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 को वाद में पक्षकार बनाने के आदेश पारित करने से ना तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद की प्रकृति पर और ना ही वाद के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता है। अप्रार्थी सं.1 को पक्षकार संयोजित करने से मूल वाद में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के अनुरूप हितबद्ध पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा इस न्यायालय के सुविचारित मत के अनुसार उपखंड अधिकारी, सुजानगढ द्वारा पारित आलोच्य आदेश में प्रथम दृष्ट्या ऐसी कोई विधिक एवं तथ्यपरक तात्विक त्रुटि दृष्टव्य नहीं है जिसके कारण निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज योग्य है। 6. उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं। उपखंड अधिकारी सुजानगढ को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते समय ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित करते हुये सुस्पष्ट आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शीध्र लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	